



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 05 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 14, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

सं० 2624/रा०नि०आ०-3/4364/2025

देहरादून, 05 सितम्बर, 2025

आदेश

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 में प्रतिभाग करने वाले निम्न तालिका में उल्लिखित उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" के प्राविधानानुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के फलस्वरूप संबंधित उम्मीदवारों को कॉलम-6 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये जिनके माध्यम से अपेक्षा की गयी कि नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर निर्वाचन लड़ने से संबंधित पद का निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा/लिखित आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०), नैनीताल को प्रस्तुत/प्रेषित करेंगे। उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:-

निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल उम्मीदवारों का विवरण

क्र0 स0	निकाय का नाम	उम्मीदवार का नाम	पद	उम्मीदवार का पत्र व्यवहार का पूरा पता	आयोग द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	नवीन चन्द्र	नगर प्रमुख	वार्ड संख्या-04 ब्यूराखाम टंगर, काठगोदाम, नगर निगम, हल्द्वानी- काठगोदाम	संख्या-128 / 16.04.2025
2		नीमा तिवारी,	सभासद	गौला बैराज, काठगोदाम, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-129 / 16.04.2025
3.		भारती देवी,	सभासद	बैलेजली लॉज, नगर निगम हल्द्वानी- काठगोदाम	संख्या-130 / 16.04.2025
4		परविन्दर सिंह,	सभासद	वार्ड नं0-07 मल्ला गोरखपुर, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-131 / 16.04.2025
5		हरीश चन्द्र जोशी,	सभासद	वार्ड नं0-07 मल्ला गोरखपुर, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-132 / 16.04.2025
6		अनुशवा नेगी,	सभासद	गंगा कॉलोनी, मल्ला गोरखपुर, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-133 / 16.04.2025
7		सोफिया,	सभासद	आजाद नगर-09, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-134 / 16.04.2025
8		कमलेश तुराह,	सभासद	राजेन्द्र नगर राजपुरा, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-135 / 16.04.2025
9	नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	हलीमा,	सभासद	किदवई नगर-24, नगर निगम, हल्द्वानी - काठगोदाम	संख्या-136 / 16.04.2025
10		आयशा कुरैशी,	सभासद	ला0नं0-18 अजादनगर बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी- काठगोदाम	संख्या-137 / 16.04.2025
11		फरीन,	सभासद	लाइन-18 अजादनगर बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी काठगोदाम	संख्या-138 / 16.04.2025
12		हुमा कौसर अंसारी,	सभासद	ला0नं0-18 अजादनगर बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी- काठगोदाम	संख्या-139 / 16.04.2025
13		तरनुम खान,	सभासद	नई बस्ती, वार्ड नं0-26, बनभूलपुरा, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-140 / 16.04.2025
14		सिमरन सागर,	सभासद	अम्बेडकर नगर, बरेली रोड, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-141 / 16.04.2025
15		जियाउद्दीन कुरैशी,	सभासद	इन्दिरा नगर, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-142 / 16.04.2025
16		अजीम अहमद,	सभासद	इन्दिरा नगर, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी- काठगोदाम	संख्या-143 / 16.04.2025
17		ममता अवरथी,	सभासद	जज फार्म, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-144 / 16.04.2025
18		गरिमा काबरा,	सभासद	नीलियम कॉलोनी, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-145 / 16.04.2025
19		शुभम मित्तल,	सभासद	वसुन्धरा कॉलोनी, हल्द्वानी, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-146 / 16.04.2025
20		मासूक अली,	सभासद	पुरानी आई0टी0आई0 गौजाजाली, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम	संख्या-147 / 16.04.2025
21	न0पा0प रामनगर	आसमा परवीन,	सदस्य	खताड़ी निकट दुर्गा मिल, रामनगर, नगर पालिका परिषद्, रामनगर	संख्या-148 / 16.04.2025

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित समस्त उम्मीदवारों को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी संबंधित उम्मीदवारों द्वारा नियत समय तक निर्वाचन व्यय लेखा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), नैनीताल को प्रस्तुत/प्रेषित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 13-छ के खण्ड (थ) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 46 के खण्ड (न) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" संख्या-1389/रा0नि0आ0-3/2763/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 द्वारा नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायिक औचित्य नहीं होने पर आदेश के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिए अनर्ह घोषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अतः आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आयोग के उक्त आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के प्रस्तर-6 (8) में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), नैनीताल से प्राप्त संस्तुति/सहमति के आधार पर उक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्ति/उम्मीदवारों को नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में प्रतिभाग करने हेतु इस आदेश के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष के लिए एतद्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।